



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या – 16/2026

बेबी ऋषि (अवयस्क) द्वारा अपनी माँ एवं प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती कविता सोनी ...याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ एवं

4 अन्य

... प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अरुण कुमार चौहान, सौरभ उपाध्याय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता, हिमांशु तिवारी, उपासना सिंह, वेदिका द्विवेदी

न्यायालय संख्या – 14

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार चौहान, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मयंक सिन्हा, तथा प्रतिवादी संख्या 4 और 5 हेतु विद्वान अधिवक्ता सुश्री वेदिका द्विवेदी को सुना। सुश्री उपासना सिंह ने विपक्षी संख्या 6 की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई है और वकालतनामा दाखिल किया है, जिसे अभिलेख पर ग्रहण किया गया है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह रिट याचिका लगभग 4 वर्ष आयु की बेबी ऋषि द्वारा अपनी माँ श्रीमती कविता सोनी के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि बालिका की माँ ने मार्च 2024 में अपना ससुराल छोड़ दिया था और अपने सुधार के लिए अल्पवयस्क ऋषि को अपने पति (विपक्षी संख्या 6) की अभिरक्षा में छोड़कर लखनऊ स्थित अपने पैतृक घर में रहने लगी थी। कुछ समय बाद, विपक्षी संख्या 6 बच्चे की माँ के पास आया और उससे यह अनुरोध किया कि वह उसके साथ पुनः रहना प्रारंभ करे, किन्तु माँ ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। यह कहा गया है कि सितंबर 2024 में माँ ने बच्चे से मिलने का प्रयास किया और दिनांक 08.10.2025 को माँ ने बच्चे की अभिरक्षा की मांग करते हुए एक विधिक नोटिस दिया और उसके बाद दिनांक 13.01.2026 को बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अनुरोध करते हुए यह रिट याचिका दायर की गई

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पहले बच्चे की माता और पिता के बीच कुछ विवाद थे, लेकिन अब विवाद सुलझ गए हैं और बच्चे के पिता (विपक्षी संख्या 6) बच्चे की माता के साथ रह रहे हैं। वे दोनों बच्चे की अभिरक्षा चाहते हैं जो विपक्षी संख्या 5 के पास है, जो विपक्षी संख्या 6 की बहन है।

4. प्रतिवादी संख्या 4 और 5 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन प्रस्तुत किया है कि बच्चे की माँ ने उसे मार्च 2024 में तब छोड़ दिया था जब बच्चा मात्र डेढ़ वर्ष का था। बच्चे का पिता बच्चे की देखभाल नहीं कर सका और इसलिए उसने बच्चे को अपनी बहन (विपक्षी संख्या 5) को देखभाल के लिए सौंप दिया। विपक्षी संख्या 5 मार्च 2024 से बच्चे की देखभाल कर रही है और बच्चे का विपक्षी संख्या 5 के प्रति अत्यधिक लगाव और जुड़ाव विकसित हो गया है। बच्चे को विपक्षी संख्या 5 की देखभाल और अभिरक्षा से हटाना बच्चे के हित या कल्याण में नहीं होगा क्योंकि इसका बच्चे के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

5. थाना- कोतवाली करनालगंज, जनपद- गोंडा के उपनिरीक्षक द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों के आधार पर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कथन है कि बच्चे के पिता ने दिनांक 01.04.2024 को अपनी बहन और बहनोई (विपक्षी संख्या 5 और 4) को बच्चा गोद दे दिया है और तब से बच्चा विपक्षी संख्या 4 और 5 के साथ व्यवस्थित रूप से रह रहा है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **तेजस्विनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी (2019) 7 एससीसी 42** के मामले में दिए गए निर्णय का आश्रय लिया है, जिसमें संक्षिप्त तथ्य यह थे कि प्रतिवादी शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी का विवाह दिनांक 28.05.2006 को जेलम से हुआ था। जेलम की गर्भावस्था के पांचवें महीने के दौरान यानी मई 2017 में, में उसे स्तन कैंसर होने का पता चला था। उसने दिनांक 14.08.2017 को एक बच्ची को जन्म दिया। जब जेलम का इलाज चल रहा था, तो शिखा नाम की बच्ची अपने पिता (प्रतिवादी संख्या 1) के पास थी। प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 29.11.2017 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था क्योंकि उसे ट्यूबरकुलोसिस मेनिनजाइटिस और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस रोग से ग्रसित होना पाया गया था। जब उसका इलाज चल रहा था, अपीलकर्ता संख्या 1 तेजस्विनी गौड़ (जेलम की दो बहनों में से एक) और अपीलकर्ता संख्या 4 डॉ. प्रदीप गौड़ (तेजस्विनी गौड़ के पति) जेलम और बच्ची शिखा को उसके इलाज को जारी रखने के लिए माहिम, मुंबई स्थित अपने निवास पर ले गए थे। बाद में जून 2018 में जेलम को बच्ची को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

शिखा के साथ पुणे स्थित उसके पैतृक घर में स्थानांतरित कर दिया गया और जुलाई 2018 में उन्हें फिर से मुंबई में अपीलकर्ता संख्या 1 तेजस्विनी गौड़ के घर में स्थानांतरित कर दिया गया। जेलम की दिनांक 17.10.2018 को बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। बच्ची पुणे में अपीलकर्ताओं के साथ रहती रही। बच्चे के पिता को अभिरक्षा देने से इनकार कर दिया गया था और उसके बाद उसने रिट याचिका दायर की थी।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तेजस्विनी गौड़ (उपरोक्त) के मामले में यह धारित किया है कि: -

"अल्पवयस्क बच्चे का कल्याण सर्वोपरि विचार है।"

26. बच्चे की अभिरक्षा के मामलों का निर्णय करते समय न्यायालय माता-पिता या अभिभावक के मात्र विधिक अधिकार से बाध्य नहीं है। यद्यपि विशेष विधियों के प्रावधान माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन अल्पवयस्क बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में अल्पवयस्क का कल्याण सर्वोपरि विचार है। न्यायालय के लिए सर्वोपरि विचार बच्चे का हित और बच्चे का कल्याण होना चाहिए।

27. कई निर्णयों का उल्लेख करने और यह देखने के बाद कि बाल अभिरक्षा के मामलों पर विचार करते समय, सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण होना चाहिए और बच्चे की सामान्य सुविधा, संतोष, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को सम्यक महत्व दिया जाना चाहिए, **नील रतन कुंडू बनाम अभिजीत कुंडू, (2008) 9 एससीसी 413** में यह धारित किया गया था: (एससीसी पृ. 427-28, पैरा 49-52):

'49. **गोवर्धन लाल बनाम गजेंद्र कुमार** में, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि यह सच है कि पिता एक अल्पवयस्क बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक है और इसलिए उसे अपने बेटे की अभिरक्षा का दावा करने का अधिमान्य अधिकार है, लेकिन एक अल्पवयस्क बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित मामलों में, सर्वोपरि विचार अल्पवयस्क का कल्याण है न कि किसी विशेष पक्ष का विधिक अधिकार। अधिनियम, 1956 की धारा 6 उस प्रभावी विचार का अधिक्रमण नहीं कर सकती जो यह सुनिश्चित करती है कि अल्पवयस्क बच्चे के कल्याण के लिए क्या श्रेष्ठ है। यह टिप्पणी भी की गई है कि बच्चे के कल्याण को एकमात्र विचार के रूप में ध्यान में रखते हुए, बच्चे की इच्छा का पता लगाना उचित होगा कि वह किसके साथ रहना चाहता है अथवा चाहती है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

50. पुनः, एम.के. हरि गोविंदन बनाम ए.आर. राजाराम में, न्यायालय ने यह धारित किया कि अभिरक्षा के मामलों का निर्णय "मानवीय स्पर्श" के संदर्भ के बिना दस्तावेजों, मौखिक साक्ष्यों या पूर्वनिर्णयों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मानवीय स्पर्श अल्पवयस्क के कल्याण के लिए प्राथमिक है क्योंकि अन्य सामग्री या तो पक्षकारों द्वारा स्वयं या अधिवक्ता के परामर्श पर अपनी सुविधानुसार सृजित की जा सकती है।

51. पुनः कमला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य [कमला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 1986 एससीसी ऑनलाइन एचपी 10 : एआईआर 1987 एचपी 34] में न्यायालय ने यह टिप्पणी की:

'13. न्यायालय अपने अंतर्निहित और सामान्य क्षेत्राधिकार में बाल अभिरक्षा के मामलों का निर्णय करते समय माता-पिता या अभिभावक के मात्र विधिक अधिकार से बाध्य नहीं है। यद्यपि माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाली विशेष विधियों के प्रावधानों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी न्यायालय को अपने अभिभावकीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोक सकता है, जो बच्चे की सामान्य सुविधा, संतोष, बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक विकास, उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामान्य लालन-पालन और अनुकूल परिवेश जैसी परिस्थितियों को सम्यक महत्व देता है। इन मामलों का निर्णय अंततः उस बच्चे के सर्वोत्तम हितों के संबंध में, जिसका कल्याण इच्छित है, न्यायालय के दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए कि वह एक या दूसरे माता-पिता की अभिरक्षा में रहे'।

52. हमारे निर्णय के अनुसार बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित विधि सुस्थापित है और वह इस प्रकार है: एक अल्पवयस्क की अभिरक्षा के रूप में एक कठिन और जटिल प्रश्न का निर्णय करते समय, न्यायालय को प्रासंगिक विधियों और उससे उत्पन्न अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों का निर्णय मात्र विधिक प्रावधानों की व्याख्या द्वारा नहीं किया जा सकता है। यह एक मानवीय समस्या है और इसे मानवीय संवेदना के दृष्टिगत हल करने की आवश्यकता है। अभिरक्षा के मामलों पर विचार करते समय न्यायालय न तो विधियों से बाध्य है, न ही साक्ष्य या प्रक्रिया के कठोर नियमों से और न ही दृष्टान्त निर्णयों से। किसी अल्पवयस्क के उचित अभिभावक का चयन करने में, सर्वोपरि विचार बच्चे का कल्याण और हित होना चाहिए। किसी अभिभावक का चयन करने में, न्यायालय अभिभावकीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रही है और उससे यह अपेक्षा की जाती है, बल्कि वह बाध्य है, कि वह बच्चे की सामान्य सुविधा, संतोष,

स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को सम्यक महत्व दे। किन्तु शारीरिक सुख-सुविधाओं से ऊपर, नैतिक मूल्यों को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। वे समान रूप से, या यह कहा जा सकता है कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, आवश्यक और अपरिहार्य विचार हैं। यदि अल्पवयस्क कोई बुद्धिमत्तापूर्ण चयन करने के लिये लिए पर्याप्त आयु का है, तो न्यायालय को ऐसे चयन पर भी विचार करना चाहिए, हालांकि अंतिम निर्णय न्यायालय के पास होना चाहिए कि अल्पवयस्क के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है।'''

28. गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल [गौरव नागपाल बनाम सुमेधा नागपाल, (2009) 1 एससीसी 42] का आश्रय लिया गया, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नवत धारित किया: (एससीसी पृ. 52 एवं 57, पैरा 32 और 50-51):

"32. मैकग्रा (इन्फैन्ट्स) सन्दर्भ वाद मैकग्रा (इन्फैन्ट्स) सन्दर्भ वाद (1893) 1 सीएच 143 (सीए)] में, लिंडले, एल.जे. ने टिप्पणी की:

'... न्यायालय के विचार के लिए प्रमुख विषय बच्चे का कल्याण है। लेकिन बच्चे के कल्याण को मात्र धन या मात्र शारीरिक सुविधा से नहीं मापा जाना चाहिए। "कल्याण" शब्द को इसके व्यापक अर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक या धार्मिक कल्याण के साथ-साथ उसके शारीरिक कल्याण पर भी विचार किया जाना चाहिए। न ही स्नेह के बंधन की अवहेलना की जा सकती है'।

50. जब न्यायालय को माता-पिता द्वारा की गई परस्पर विरोधी मांगों पर विचार करना पड़ता है, तो हर बार उसे मांगों को न्यायोचित ठहराना पड़ता है। न्यायालय को न केवल विधिक आधार पर बिंदु पर विचार करना है, बल्कि ऐसे मामलों में उन बिंदुओं को निर्णीत करने के लिए मानवीय कोण प्रासंगिक होते हैं। न्यायालय तब इस बात पर बल नहीं देता कि पक्षकार क्या कहते हैं, उसे एक ऐसे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना होता है जिसका उद्देश्य अल्पवयस्क का कल्याण होता है। जैसा कि हाल ही में मौसमी मोइत्रा गांगुली बनाम जयंत गांगुली, (2008) 7 एससीसी 673 के मामले में टिप्पणी की गई है, न्यायालय को बच्चे की सामान्य संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को सम्यक महत्व देना

चाहिए, लेकिन शारीरिक सुख-सुविधाओं से कहीं अधिक, नैतिक मूल्यों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
वे अन्य की तुलना में यदि अधिक महत्वपूर्ण नहीं तो कम से कम समान तो हैं ही।

51. अधिनियम की धारा 13 में प्रयुक्त "कल्याण" शब्द का निर्वचन शाब्दिक अर्थ के अनुसार किया जाना चाहिए और इसे इसके व्यापकतम अर्थ में ग्रहण किया जाना चाहिए। बच्चे के नैतिक कल्याण के साथ-साथ उसके शारीरिक कल्याण पर भी न्यायालय को सम्यक महत्त्व देते हुए विचार करना चाहिए। यद्यपि माता-पिता या अभिभावकों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले विशेष विधियों के प्रावधानों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी सामग्री न्यायालय को ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाले अपने अभिभावकीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के मार्ग में बाधा नहीं बं सकती है।

(मूल पर बल दिया गया)

29. यह तर्क देते हुए कि पक्षकारों के दावे चाहे कितने भी वैध हों, वे बच्चे के हित और कल्याण के अधीन हैं, रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चकरामाकल, (1973) 1 एससीसी 840 में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की है कि : (एससीसी पृष्ठ 847 एवं 855, पैरा 7 एवं 15)

"7. ... वह सिद्धांत जिस पर न्यायालय को अभिभावक की उपयुक्तता तय करनी चाहिए, मुख्य रूप से दो कारकों पर निर्भर करता है: (i) पिता की अभिभावक बनने की उपयुक्तता या अन्यथा, और (ii) अल्पवयस्कों के हित।

15. बच्चे संपत्ति नहीं हैं: और न ही वे अपने माता-पिता के लिए खिलौना हैं। अपने बच्चों के भाग्य और जीवन पर माता-पिता का पूर्ण अधिकार, आधुनिक बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों में, मानव के रूप में उनके कल्याण के विचारों के सामने हल्का पड़ चुका गया है ताकि वे समाज के उपयोगी सदस्य बनने के लिए सामान्य संतुलित तरीके से विकसित हो सकें और विवाद के मामले में अभिभावक न्यायालय से माता और पिता के बीच, अल्पवयस्क बच्चों के कल्याण की आवश्यकताओं और उन पर उनके संबंधित माता-पिता के अधिकारों के बीच एक न्यायपूर्ण और उचित संतुलन बनाने की अपेक्षा की जाती है। हमारे विचार में विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण उचित था और हम उनसे सहमत हैं। हमें यह प्रतीत होता है कि पेटेंट

बेंच ने अपील को [जैकब ए. चक्रमकल बनाम रोजी जे. चक्रमकल, 1972 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 90 : (1972) 85 एलडब्ल्यू 844] उन आधारों पर पलटने में त्रुटि की है जिनका अभिमूल्यन कर सकने में हम सक्षम नहीं हैं।

30. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने जी. ईवा मैरी एलीजाबेथ बनाम जयराज, 2005 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 472 का आश्रय लिया है जहाँ एक माह के अल्पवयस्क बच्चे की अभिरक्षा का प्रश्न था जिसे उसकी पत्नी की मृत्यु के तत्काल बाद पिता द्वारा चर्च परिसर में छोड़ दिया गया था। तदनुसार बच्चे की अभिरक्षा याचिकाकर्ता को सौंप दी गई जिसने चर्च के पादरी द्वारा ढाई साल तक बच्चे की देखभाल की थी। पिता ने ढाई साल बाद याचिकाकर्ता की अभिरक्षा से बच्चे को छीन लिया। यद्यपि बच्चे का पिता नैसर्गिक अभिभावक था, पर उसने बच्चे को छोड़ दिया था, इसलिए उसे अभिरक्षा देने से इनकार कर दिया गया था।"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी धारित किया है कि:

"32. विचाराधीन वाद में, पिता ही एकमात्र जीवित नैसर्गिक अभिभावक है और उसने न तो बच्चे को छोड़ा है और न ही उसकी उपेक्षा की है। मात्र मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण, अपीलकर्ताओं द्वारा बच्चे की देखभाल की गई थी। इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा उद्धृत मामले तथ्यों के आधार पर भिन्न हैं और पिता को बच्चे की अभिरक्षा देने से इनकार करने के लिए लागू नहीं किए जा सकते हैं।"

9. वर्तमान मामले में, माँ ने मार्च 2024 में बच्चे को छोड़ दिया था और उसके बाद पिता ने भी विपक्षी संख्या 4 और 5 को गोद देकर बच्चे को छोड़ दिया है। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्य उन तथ्यों से भिन्न हैं जिनके आधार पर तेजस्विनी गौड़ (उपरोक्त) के मामले का निर्णय किया गया था। अतः तेजस्विनी गौड़ (उपरोक्त) का निर्णय वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति पर लागू नहीं होता है।

10. हालांकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य का प्रतिवाद विवाद कर रहे हैं कि पिता ने बच्चे को छोड़ दिया था और विपक्षी संख्या 5 विपक्षी संख्या 6 की सगी बहन नहीं है, लेकिन तथ्य के इन विवादित प्रश्नों का निर्णय इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका में नहीं किया जा सकता है और यह उचित होगा कि अल्पवयस्क बच्चों के कल्याण के लिए प्रासंगिक अन्य कारकों के साथ-साथ तथ्य के इन विवादित प्रश्नों का निर्णय नियमित कार्यवाही

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

में पारिवारिक न्यायालय द्वारा पक्षकारों को उनके संबंधित दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद किया जाए।

11. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, याचिकाकर्ता के लिए अल्पवयस्क बच्चे की अभिरक्षा का दावा करने के लिए नियमित वाद दायर करने का विकल्प प्रयोग करने की स्वतन्त्रता प्रदान करते हुए यह रिट याचिका प्रवेश स्तर पर ही **खारिज** की जाती है।

30 मार्च, 2026

प्रदीप/-

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)